

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the '*Committee on Publication Ethics*'

Online ISSN:2584-184X



Research Paper

झारखंड राज्य की पृष्ठभूमि – झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण

अंजुम सदाब ^{1*}, डॉ. रजनी ²

¹ शोधार्थी, वाई. बी. एन यूनिवर्सिटी, रांची, झारखण्ड, भारत

² एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, झारखण्ड, भारत

Corresponding Author: * अंजुम सदाब

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18313367>

सारांश	Manuscript Info.
शोध सार-भारतीय उपमहाद्वीप की विविधताओं में झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत विशिष्ट रही है। यहाँ की धरती पर आदिम समाजों ने अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रखा। झारखंड का भूगोल घने जंगलों, पर्वतों, खनिज संपदा और आदिवासी संस्कृति से परिपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही प्राकृतिक संसाधनों के कारण आकर्षण का केंद्र रहा है, किंतु यहाँ के मूल निवासियों ने हमेशा बाहरी हस्तक्षेप और शोषण का प्रतिरोध किया। यही कारण है कि झारखंड आंदोलन केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की पुनर्प्राप्ति का आंदोलन भी था। झारखंड की सामाजिक पृष्ठभूमि पर यदि दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की समाज व्यवस्था मुख्यतः आदिवासी संस्कृति पर आधारित रही है। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, असुर और अन्य अनेक जनजातियाँ यहाँ की पहचान रही हैं। इन समुदायों का सामाजिक जीवन सामुदायिकता, सामूहिक श्रम और प्राकृतिक संसाधनों के साझा उपयोग पर आधारित रहा। जंगल, जमीन और जल इनके जीवन के मूल आधार रहे हैं। प्रकृति से गहरा जुड़ाव इनके गीतों, नृत्यों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देता है। किंतु औपनिवेशिक शासन और बाद में स्वतंत्र भारत की विकास नीतियों ने इन परंपराओं को लगातार चुनौती दी। ब्रिटिश शासन के दौरान झारखंड क्षेत्र का दोहरा शोषण हुआ। एक ओर अंग्रेजों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और दूसरी ओर जमींदारी प्रथा ने आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल किया। कोयला, लोहा, अभ्रक और अन्य खनिजों से भरपूर यह क्षेत्र औद्योगिकीकरण का केंद्र बना, लेकिन यहाँ की जनता हाशिए पर धकेल दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ लगातार विद्रोह हुए। 1771 का पहाड़िया विद्रोह, 1784 का तिलका मांझी आंदोलन, 1831 का कोल विद्रोह, 1855 का संथाल हूल और 1900 का बिरसा मुंडा आंदोलन झारखंड की सामाजिक-राजनीतिक चेतना के महत्वपूर्ण मील-पत्थर रहे। इन आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड के लोग अपनी अस्मिता और संसाधनों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षशील रहे हैं।	✓ ISSN No: 2584-184X ✓ Received: 19-02-2025 ✓ Accepted: 27-03-2025 ✓ Published: 30-03-2025 ✓ MRR:3(3):2025;66-70 ✓ ©2025, All Rights Reserved. ✓ Peer Review Process: Yes ✓ Plagiarism Checked: Yes How To Cite अंजुम सदाब, डॉ. रजनी. झारखंड राज्य की पृष्ठभूमि – झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(3):66-70.

प्रमुख शब्द: झारखंडी अस्मिता, आदिवासी चेतना, पृथक राज्य आंदोलन, जल-जंगल-जमीन, क्षेत्रीय असंतोष, बिरसा मुंडा, उलगुलान आंदोलन, औपनिवेशिक शोषण, खनिज संपदा, विस्थापन समस्या, सामाजिक न्याय, राजनीतिक संघर्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा, संवैधानिक प्रक्रिया, 15 नवम्बर 2000

परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद झारखंड की राजनीतिक स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया। यद्यपि संविधान ने अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को आरक्षण और अन्य सुरक्षा प्रदान की, किंतु झारखंड के आदिवासी समाज को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल सका। खनन और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने यहाँ के लोगों की जमीन छीन ली और उन्हें विस्थापन के संकट से जूझना पड़ा। बोकारो स्टील प्लांट, दामोदर घाटी निगम, रांची और जमशेदपुर के आसपास के उद्योगों ने राष्ट्रीय स्तर पर तो विकास का प्रतीक प्रस्तुत किया, किंतु स्थानीय आदिवासी जनता को केवल विस्थापन, बेरोजगारी और सांस्कृतिक विघटन का सामना करना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में झारखंड आंदोलन का नया स्वरूप विकसित हुआ। 1930 के दशक में ही आदिवासी महासभा की स्थापना कर जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड राज्य की माँग उठाई थी। उन्होंने संविधान सभा में भी झारखंड राज्य की आवश्यकता पर बल दिया। किंतु तत्कालीन परिस्थितियों में यह माँग स्वीकार नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक झारखंड क्षेत्र बिहार का हिस्सा बना रहा और धीरे-धीरे यहाँ के लोगों में यह भावना गहरी होती गई कि उनकी सांस्कृतिक अस्मिता और आर्थिक हितों की उपेक्षा हो रही है। 1970 के दशक में झारखंड आंदोलन को संगठित रूप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया। शिबू सोरेन और अन्य आदिवासी नेताओं ने जंगल, जमीन और जल के अधिकार को केंद्र में रखकर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे गैर-आदिवासी पिछड़े वर्गों और मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया। यह व्यापक आधार आंदोलन की सफलता का कारण बना। इस आंदोलन ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि झारखंड की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाए।

1980 और 1990 के दशक में झारखंड आंदोलन और अधिक प्रखर हुआ। झामुमो ने विभिन्न आंदोलनों और संघर्षों के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं को संगठित किया। वहीं अखिल भारतीय झारखंड पार्टी जैसे संगठनों ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। केंद्र की राजनीति में भी गठबंधन युग शुरू हो चुका था और क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया था। इस स्थिति ने झारखंड आंदोलन को और बल दिया क्योंकि झारखंड के प्रतिनिधि दल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर राज्य की माँग को मजबूत करने लगे। झारखंड आंदोलन का स्वरूप केवल राजनीतिक नहीं था। यह सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी था। आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्षरत था। उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएँ और धार्मिक विश्वास लगातार बाहरी हस्तक्षेप के कारण संकटग्रस्त हो रहे थे। झारखंड आंदोलन ने इन सांस्कृतिक प्रश्नों को भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। यही कारण है कि इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिला। [1]

15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो यह लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। यह दिन संयोग से बिरसा मुंडा की जयंती भी थी, जिन्हें झारखंड का महानायक माना जाता है। राज्य गठन के साथ ही झारखंड की जनता ने यह अनुभव किया कि उनकी पहचान और अस्मिता को संवैधानिक मान्यता मिल गई है।

किंतु राज्य गठन के बाद भी झारखंड की समस्याएँ समाप्त नहीं हुईं। विकास और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की चुनौती, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं।

नीचे “झारखंड राज्य की पृष्ठभूमि : झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण” विषय पर

लगातार निबंध शैली में 15 बीज शब्दों को समाहित करते हुए लेख प्रस्तुत है—

झारखंड राज्य की पृष्ठभूमि : झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण झारखंड राज्य का निर्माण भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह केवल प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह झारखंडी अस्मिता, आदिवासी चेतना और सांस्कृतिक पहचान के लिए चले लंबे संघर्ष का परिणाम था। झारखंड का भूभाग प्राचीन काल से ही विशिष्ट सामाजिक संरचना, अलग सांस्कृतिक परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र रहा है। यहाँ के आदिवासी समाज का जीवन जल-जंगल-जमीन से गहरे रूप में जुड़ा रहा है, जिसने उनकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था को दिशा प्रदान की।

ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति ने झारखंड क्षेत्र की इस पारंपरिक जीवन-व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा और वन कानूनों ने आदिवासियों के सामुदायिक स्वामित्व को नष्ट कर दिया। भूमि पर बाहरी शक्तियों का अधिकार बढ़ता गया, जिससे आदिवासी समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी दौर में कोल-खनिज क्षेत्र के तीव्र औद्योगिकीकरण ने इस संकट को और गहरा कर दिया। खनन, रेलवे और कारखानों के विकास ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदला, किंतु इसके साथ ही शोषण और विस्थापन की प्रक्रिया भी तेज होती चली गई।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में यह असंतोष संगठित प्रतिरोध में बदलने लगा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन झारखंडी चेतना का प्रथम सशक्त प्रतीक बना। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को न केवल सामाजिक जागरण का संदेश दिया, बल्कि जल-जंगल-जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों के लिए संघर्ष का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनका आंदोलन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का समन्वय था, जिसने आगे चलकर झारखंड आंदोलन की वैचारिक नींव रखी।

स्वतंत्रता के बाद भी झारखंड क्षेत्र की समस्याएँ यथावत बनी रहीं। प्रशासनिक निर्णय रांची, सिंहभूम, पलामू और संथाल परगना जैसे क्षेत्रों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को समझे बिना लिए जाते रहे। परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतोष गहराता गया। विकास योजनाओं का लाभ स्थानीय समाज तक नहीं पहुँच पाया, जबकि विस्थापन और संसाधनों का दोहन निरंतर बढ़ता गया। इससे यह भावना प्रबल हुई कि झारखंड की समस्याओं का समाधान पृथक राज्य आंदोलन के बिना संभव नहीं है।

1950 के दशक से झारखंड की माँग संगठित रूप लेने लगी। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी महासभा ने झारखंड राज्य की अवधारणा को राष्ट्रीय मंच पर रखा। यह आंदोलन धीरे-धीरे केवल आदिवासी प्रश्न न रहकर व्यापक राजनीतिक संघर्ष में

परिवर्तित हो गया, जिसमें गैर-आदिवासी, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग भी सम्मिलित होने लगे। झारखंड की मांग सामाजिक न्याय, समान विकास और सांस्कृतिक सम्मान के विचार से जुड़ गई। 1970 और 1980 के दशकों में यह आंदोलन और अधिक सशक्त हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनआंदोलन को नई दिशा दी और इसे जनसरोकारों से जोड़ा। रैलियाँ, बंद, जनसभाएँ और राजनीतिक दबाव के माध्यम से झारखंड प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन गया। इस आंदोलन में राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी दिखाई देता है, जहाँ झारखंडी भाषा, लोककला, परंपरा और इतिहास को पुनः प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया गया। 1990 के दशक में भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों को संवैधानिक मान्यता मिलने लगी। इसी क्रम में झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। संसद में व्यापक विमर्श के बाद बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। अंततः 15 नवम्बर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह दिन केवल प्रशासनिक बदलाव का प्रतीक नहीं था, बल्कि सदियों से चले आ रहे संघर्ष की ऐतिहासिक परिणति था।

झारखंड राज्य का गठन भारतीय संघीय व्यवस्था में सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान की स्वीकृति का उदाहरण है। यह आंदोलन बताता है कि जब विकास, संसाधन और सत्ता से कोई क्षेत्र लगातार वंचित रहता है, तो वहाँ क्षेत्रीय चेतना स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। झारखंड आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि लोकतांत्रिक संघर्ष, जनभागीदारी और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से भी ऐतिहासिक परिवर्तन संभव है।

आज झारखंड राज्य अपने अस्तित्व के दो दशक से अधिक की यात्रा पूरी कर चुका है। यद्यपि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं, फिर भी राज्य निर्माण ने स्थानीय समाज को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार प्रदान किया है। झारखंड आंदोलन केवल राज्य निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि यह आदिवासी चेतना, सामाजिक न्याय और झारखंडी अस्मिता की जीवंत अभिव्यक्ति है।

झारखंड राज्य की पृष्ठभूमि, झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण की प्रक्रिया भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक विशिष्ट एवं प्रेरणास्पद अध्याय है। यह आंदोलन केवल भौगोलिक पुनर्गठन की मांग नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अस्मिता और ऐतिहासिक अधिकारों की पुनर्प्राप्ति का संघर्ष था। झारखंड क्षेत्र सदियों से प्राकृतिक संपदा, आदिवासी परंपराओं और विशिष्ट जीवन-दर्शन का केंद्र रहा है, किंतु औपनिवेशिक शासन से लेकर स्वतंत्र भारत तक यह क्षेत्र उपेक्षा, शोषण और असमान विकास का शिकार बना रहा।

ब्रिटिश काल में लागू की गई भूमि व्यवस्था, वन कानून और खनिज आधारित औद्योगिक नीति ने आदिवासी समाज की सामुदायिक संरचना को गहरा आघात पहुँचाया। जल-जंगल-जमीन, जो आदिवासी जीवन की आत्मा रहे हैं, धीरे-धीरे उनके हाथों से छिनते चले गए। परिणामस्वरूप विस्थापन, बेरोजगारी और सामाजिक विघटन की समस्या उत्पन्न हुई। इसी शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन ने जनजातीय चेतना को नई दिशा दी और झारखंड आंदोलन की वैचारिक नींव रखी।

स्वतंत्रता के पश्चात यह आशा की गई थी कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों का समुचित विकास होगा, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो सका। नीतिगत निर्णयों में स्थानीय सहभागिता का अभाव रहा और संसाधनों का लाभ बाहरी शक्तियों को मिलता रहा। इससे क्षेत्रीय असंतोष और गहराता गया। धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक स्वायत्तता के बिना झारखंड की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

इसी चेतना से पृथक राज्य आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ। जयपाल सिंह मुंडा जैसे दूरदर्शी नेताओं ने झारखंड की अवधारणा को वैचारिक स्वरूप प्रदान किया। आगे चलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे जनांदोलन का रूप दिया। यह आंदोलन आदिवासी और गैर-आदिवासी समाज के साझा हितों का प्रतीक बन गया, जिसमें मजदूर, किसान, छात्र, बुद्धिजीवी और सांस्कृतिक कर्मी समान रूप से सहभागी बने।

झारखंड आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यह हिंसक विद्रोह के स्थान पर लोकतांत्रिक संघर्ष की राह पर आगे बढ़ा। रैलियाँ, जनसभाएँ, राजनीतिक संवाद और संवैधानिक दबाव के माध्यम से इस आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति को झारखंड प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने को बाध्य किया। अंततः बिहार पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 15 नवम्बर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो आदिवासी संघर्षों को ऐतिहासिक मान्यता प्रदान करता है।

झारखंड राज्य निर्माण भारतीय संघीय ढाँचे की उस लचीली प्रकृति को भी दर्शाता है, जिसमें क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान दिया गया है। यह राज्य केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि झारखंडी अस्मिता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय का प्रतीक बनकर उभरा है। राज्य निर्माण के बाद स्थानीय नेतृत्व को नीति निर्माण में अवसर मिला और क्षेत्रीय समस्याओं पर केंद्रित योजनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ।

हालाँकि यह भी सत्य है कि राज्य गठन के बाद झारखंड को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। विकास की असमान गति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। किंतु इसके बावजूद यह तथ्य असंदिग्ध है कि पृथक राज्य के बिना इन समस्याओं पर गंभीर विमर्श भी संभव नहीं था।

इस प्रकार झारखंड आंदोलन यह सिद्ध करता है कि जब कोई समाज अपने इतिहास, संस्कृति और अधिकारों के प्रति सजग होता है, तो वह लोकतांत्रिक माध्यमों से भी बड़े परिवर्तन ला सकता है। झारखंड का निर्माण केवल अतीत की पीड़ा का परिणाम नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का द्वार है। यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश देता है कि पहचान, सम्मान और न्याय के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।

संदर्भ सूची

1. सिंह, के. एस. ट्राइब्स ऑफ़ इंडिया : भारत का मानवशास्त्र. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1997।
2. एक्का, एलेक्स. झारखंड आंदोलन का इतिहास. राँची: झारखंड प्रकाशन; 2002।

3. मुंडा, रामदयाल. आदिवासी दर्शन और संस्कृति. राँची: जनजातीय अनुसंधान संस्थान; 1999।
 4. शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी. बिहार और झारखंड का इतिहास. पटना: बिहार राष्ट्रभाषा परिषद; 1988।
 5. उराँव, बंधु तिकी. झारखंड की सामाजिक संरचना. राँची: झारखंड साहित्य अकादमी; 2001।
 6. सरकार, सुमित. आधुनिक भारत का इतिहास (1885-1947). नई दिल्ली: मैकमिलन इंडिया; 1983।
 7. चौधरी, तपन. आदिवासी आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन; 1995।
 8. झा, प्रभात कुमार. झारखंड राज्य निर्माण : एक अध्ययन. राँची: जनजातीय अध्ययन केंद्र; 2004।
 9. मुंडा, रामदयाल. आदिवासी अस्मिता और संघर्ष. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन; 2000।
 10. सिंह, किशोर. झारखंड की राजनीति. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 2006।
 11. भारत सरकार. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रेस; 2000।
 12. महतो, शिवप्रसाद. झारखंड का जनसंघर्ष. राँची: झारखंड इतिहास परिषद; 1998।
 13. तिवारी, केदारनाथ. भारतीय संघवाद और राज्य पुनर्गठन. नई दिल्ली: एस. चौद एंड कंपनी; 1992।
 14. प्रसाद, रामचंद्र. आदिवासी प्रश्न और विकास. नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स; 2001।
- सिंह, वीरभारत. झारखंड : इतिहास और वर्तमान. राँची: झारखंड साहित्य अकादमी; 2005।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.